

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प चौकड़ी

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चौकड़ी
व भूअ.नि. चौकड़ी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा /नायब
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चौकड़ी तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 से 1787 में खाता संख्या 351, 616 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>चौकड़ी</u>	<u>351</u>	<u>बाबू पिता परथा श्रील</u>	<u>बाबुलाल पिता परथा श्रील</u>
2.	<u>चौकड़ी</u>	<u>616</u>	<u>बाबू पिता परथा श्रील</u>	<u>बाबुलाल पिता परथा श्रील</u>

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा
रेलमगरा

क्रमांक:- 1/राजस्व/2025/34
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 29/9/25

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री बाबुलाल पिता परथा श्रील को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा
रेलमगरा